दिनांक 25.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 36/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफः ट्रक चालक की हत्या कर 3.80 करोड कीमत के कॉपर से लोड ट्रक लूटने वाला रूपये 1,00,000/- का पुरस्कार घोषित अभियुक्त कार्तिक राजभर पटियाला (पंजाब) से गिरफ्तार।

दिनांक 24-07-2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को ट्रक चालक की हत्या कर 3.80 करोड (तीन करोड़ अस्सी लाख रूपये) के कॉपर लदे ट्रक को लूटने वाले 01 लाख रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त कार्तिक राजभर को पटियाला (पंजाब) से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

कार्तिक राजभर पुत्र अनिल राजभर निवासी पोरई खुर्द थाना खेतासराय, जनपद जौनपुर।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः

एस0एस0टी0 नगर थाना लाहौरी गेट जनपद पटियाला (पंजाब)। दिनांक 24.07.2025

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी द्वारा अपनी टीम के साथ अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि दिनांक 15-05-2025 को जनपद कौशाम्बी के थाना कोखराज क्षेत्रान्तर्गत कॉपर लदे ट्रक चालक का पीछा कर उसे गोली मारकर हत्या कर दी गयी तथा उक्त कॉपर लदे ट्रक को लूट लिया गया था। इस संबंध में थाना कोखराज पर मु0अ0सं0 208/2025 धारा 309(4)/103(1)बी0एन0एस0 पंजीकृत हुआ था। इस घटना में शामिल अभियुक्त कार्तिक राजभर पुत्र अनिल राजभर निवासी पोरई

खुर्द थाना खेता सराय जनपद जौनपुर तभी से फरार चल रहा है, जिस पर 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। इसके संबंध में अभिसूचना संकलन से ज्ञात हुआ कि यह पटियाला (पंजाब) में लुकछिप कर रह रहा है। इस सूचना पर निरीक्षक अनिल कुमार सिंह एस0टी0एफ0 वाराणसी अपनी टीम के साथ पटियाला में अभिसूचना संकलन कर रहे थे कि दिनांक 24–07–2025 को विश्वस्त सूत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी कार्तिक राजभर पटियाला के थाना लाहौरी गेट क्षेत्रान्तर्गत एस0एस0टी0 नगर में मौजूद है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुंचकर कार्तिक राजभर उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

अभिसूचना संकलन एवं गिरफ्तार अभियुक्त से पूछतांछ से पाया गया कि गिरफ्तार अभियुक्त कार्तिक राजभर अपने गांव के ही कुख्यात अपराधी संतोष राजभर उर्फ राजू (**पुलिस मुठभेड में मृत**) के सम्पर्क में था और अपराध करने लगा था। कार्तिक राजभर एवं संतोष राजभर उर्फ राजू द्वारा मिलकर योजना बनायी गयी कानपुर–प्रयागराज मार्ग पर कॉपर आदि जैसे कीमती सामान ट्रक/ ट्रेलरों से ले जाये जाते हैं, इसे लूटकर कानपुर में बेचकर अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। इस योजना में इन दोनों ने अपने एक और साथी रंजित राजभर पुत्र चंदेश राजभर निवासी राजागंज कुम्भ थाना बरदह जनपद आजमगढ को भी शामिल कर लिया। इस योजना के तहत इन लोगों ने कानपुर के कुछ व्यापारियों से बात भी पहले कर लिया था कि कॉपर आदि जैसे कीमती धातु ये लोग व्यापारियों को आधे दाम पर ही दे देगें। लूट करने से पहले कानपुर–प्रयागराज मार्ग पर इन लोगों ने रैकी भी कर लिया था। दिनांक 15–05–2025 को पूर्व योजना के मुताबिक इन्होनें ने अपने इर्टिगा कार नं0ः यू0पी0–62 डी0टी0–2869 से 21 बण्डल कॉपर लदे ट्रेलर नं0ः आर0जे0–06जी0सी0–0334 का कानपुर से पीछा करना शुरू किए और कोखराज से आगे प्रयागराज जाने वाले मोड तिराहा के आगे पुलिया के पास कार लगाकर ट्रेलर को रोक लिया और तीनों साथियों ने ट्रेलर में चढकर चालक सांवरलाल की गोली मारकर हत्या कर दी और ये तीनों अपनी इर्टिगा कार व ट्रेलर को लेकर वापस कानपुर की तरफ ककोढा से आगे सुनसान स्थान पर सडक के किनारे आकर ट्रेलर ड्राइवर के शव को फेंक दिया और ककोढा के पास ही झाडियों में संतोष राजभर उर्फ राजू ने घटना में प्रयुक्त

अपना असलहा भी फेक दिया। इसके उपरान्त ट्रेलर को एक दूसरे सुनसान स्थान पर ले जाकर खडा कर दिये। लूटे गये कॉपर वायर को आधे दाम पर बेचने के लिये कानपुर के स्थानीय व्यापारी मो0 अकरम, शकील अहमद, अमित कुमार, आफताब से बातचीत हो गयी गयी थी। संतोष राजभर उर्फ राजू ने कार्तिक राजभर और रंजीत को वापस भेज दिया कि माल के बेचने की बात हो गयी है, बिक जाने पर उन्हें उनका हिस्सा मिल जायेगा। दिनांक 17—05—2025 को उसी लूटे गये कॉपर वायर को खरीदने के लिये उपरोक्त स्थानीय व्यापारी मौके पर संतोष राजभर उर्फ राजू के पास आये थे उसी दौरान उनको कोखराज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था।

दिनांक 17—05—2025 को गिरफ्तारी के उपरान्त संतोष राजभर उर्फ राजू की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध असलहे की बरामदगी हेतु कोखराज पुलिस उसे ककोढा ले गयी थी कि उसी दौरान संतोष राजभर उर्फ राजू ने पुलिस पार्टी पर झाडी में छुपाये गये अपने असलहे से फायर कर दिया, जिसके दौरान पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलायी गयी, जिसमें संतोष राजभर उर्फ राजू घायल हो गया था, जिसे अस्पताल में डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। इसकी जानकारी कार्तिक राजभर को होने पर भागकर पटियाला चला गया और लुकछिप कर रहने लगा था। जिसे दिनांक 24—07—2025 को एस0टी0एफ0 टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

<u>कार्तिक राजभर का आपराधिक इतिहासः</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
01	693 / 17	352 / 504 / 506 भादवि 4 / 10 भारतीय वन अधिनियम	खुटहन	जौनपुर
02	1619 / 17	411 / 414 / 419 / 420 / 467 / 468 / 471 भादवि	खेतासराय	जौनपुर
03	1282 / 17	379 / 411 भादवि	सरायख्वाजा	जौनपुर
04	1837 / 17	379 / 411 / 419 / 420 / 467 / 468 / 471 भादवि	खेतासराय	जौनपुर
05	195 / 24	379 / 411 भादवि	सिकरारा	जौनपुर
06	323 / 24	352 / 504 / 506 आई0पी0सी0 व 4 / 10 भारतीय वन अधिनियम	खुटहन	जौनपुर
07	208 / 25	309(4) / 103(1) बी0एन0एस0	कोखराज	कौशाम्बी

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त कार्तिक राजभर को मु0अ0सं0 208 / 2025 धारा 309(4) / 103(1) बी0एन0एस0 थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी में दिनांक 25—07—2025 को दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही कोखराज पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढाना

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 24/25.07.2025 को थाना बुढाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विझाना–सठेड़ी नहर पुलिया पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–साहिल 2–अरूण कुमार उर्फ लोकेश उर्फ एलबी घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त साहिल के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त अरूण कुमार उर्फ लोकेश उर्फ एलबी के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, सम्भल, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कैलादेवी जनपद सम्भल पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद सम्भल द्वारा 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बुढ़ाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–साहिल निवासी ग्राम खेडा चौगानपुर थाना ईकोटेक कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–अरूण कुमार उर्फ लोकेश उर्फ एलबी निवासी ग्राम ममूरा थाना फेस–3 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

<u>बरामदगी</u>

1–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

<u>जनपद शामली/थाना झिंझाना</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपय का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 25.07.2025 को थाना झिंझाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कैराना–झिंझाना मार्ग पर जंगल ग्राम जमालपुर के पास पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–संजू घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–कपिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त संजू के विरूद्ध जनपद शामली व दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त कपिल के विरूद्ध जनपद शामली, मथुरा व कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–संजू निवासी अलाउद्दीनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

2–कपिल निवासी अलाउद्दीनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>बरामदगी</u>

1–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मऊ/थाना कोतवाली नगर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 25.07.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बस स्टैण्ड ब्रह्स्थान पोखरे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त आकाश उर्फ आशू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकाश उर्फ आशू निवासी दक्षिणटोला थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

जनपद फिरोजाबाद/थाना रसूलपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी के माल ब्रिकी के 04 लाख 31 हजार रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 25.07.2025 को थाना रसूलपुर, एसओजी, सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान नगला बरी चौराहा फतेहाबाद रोड पर मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अलीशान उर्फ निदान उर्फ विकास घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशादेही पर अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी

के माल ब्रिकी के 04 लाख 31 हजार रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अलीशान उर्फ निदान उर्फ विकास के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद, के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के लगभग 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रसूलपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अलीशान उर्फ निदान उर्फ विकास निवासी 12 बीघा अब्बासनगर थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

2–अभियुक्ता।

बरामदगी

1–चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–चोरी के माल ब्रिकी के 04 लाख 31 हजार रूपये नगद।

3–01 मोटर साइकिल।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद पीलीभीत/थाना माधोटांडा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 लाख 80 हजार रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन, 01 पीओएस मशीन**
- **01 कार बरामद**

दिनांक 25.07.2025 को थाना माधोटांडा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शाहगढ़ अण्डरपास के पास से अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार

अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 80 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 01 पीओएस मशीन, 01 कार बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना माधोटांडा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना माधोटांडा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना माधोटांडा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम नवदिया धनेश थाना माधोटांडा जनपद पीलीभीत।

बरामदगी

1—लूट के 01 लाख 80 हजार रूपये नगद।

2—02 मोबाइल फोन, 01 पीओएस मशीन।

3—01 कार।

जनपद अमरोहा/थाना रजबपुर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 04 लाख रूपये कीमत के चोरी के (पीली—सफेद) धातु के आभूषण**
- **चोरी के 01 लाख 40 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 24/25.07.2025 को थाना रजबपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शंकरपुर अण्डरपास के पास से 04 अभियुक्तों 1—तस्लीम उर्फ डब्बू 2—सज्जाद 3—वकील 4—मुसाहिद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 लाख रूपये कीमत के चोरी के (पीली—सफेद) धातु के आभूषण, चोरी के 01 लाख 40 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना रजबपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रजबपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया व आभूषण चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मुसाहिद के विरूद्ध जनपद सम्भल, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 24 अभियोग, अभियुक्त वकील के विरूद्ध जनपद अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, सम्भल के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 22 अभियोग, अभियुक्त तस्लीम उर्फ डब्बू के विरूद्ध जनपद अमरोहा, रामपुर, सम्भल, मुरादाबाद के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 24 अभियोग एवं अभियुक्त सज्जाद के विरूद्ध जनपद सम्भल, अमरोहा के विभिन्न थानो में डकैती, चोरी आदि के 03 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना रजबपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–तस्लीम उर्फ डब्बू निवासी ग्राम गुआनगला थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

2–सज्जाद निवासी राजा का सहसपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।

3–वकील निवासी महमूदनगर थाना असमौली जनपद सम्भल।

4–मुसाहिद निवासी गुरैठा रोड पाकबाडा जनपद मुरादाबाद, हालपता ग्राम मुबारकपुर थाना नौगाँवा सादात जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1–लगभग 04 लाख रूपये कीमत के चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

2–चोरी के 01 लाख 40 हजार रूपये नगद।

3–02 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद कुशीनगर/थाना कोतवाली पडरौना

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 13 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 05 कुन्तल 65 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **01 कन्टेनर ट्रक बरामद**

दिनांक 25.07.2025 को थाना कोतवाली पडरौना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चौकी बांसी के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–साबिर 2–विपिन कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 13 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 05 कुन्तल 65 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 कन्टेनर ट्रक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पडरौना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–साबिर निवासी ग्राम बेतवनिया थाना चनपटिया जनपद बेतिया पश्चिमी चम्पारण बिहार।

2–विपिन कुमार निवासी ग्राम चौबे टोला थाना चनपटिया जनपद बेतिया पश्चिमी चम्पारण बिहार।

बरामदगी

1–लगभग 01 करोड़ 13 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 05 कुन्तल 65 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–01 कन्टेनर ट्रक।

➢ जनपद मऊ/थाना मधुवन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना मधुवन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/148/323/324/307/302/506

भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रघुवीर 2–रामकरण 3–टुनमुन को आजीवन कारावास व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मऊ/थाना मधुवन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना मधुवन पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त हरिकिशुन को धारा 147/148/323/325/307/504/506 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2–रामचन्द्र को धारा 147/323/325/307/504/506 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना मौदहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना मौदहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राजकुमार 2–जयराजू को आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना तितावी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना तितावी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जोगेन्द्र उर्फ ढ़ोला को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बागपत/थाना बड़ौत (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना बड़ौत पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मन्नू उर्फ मोनू को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना हैदरगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना हैदरगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बसन्तू उर्फ बसन्त लाल को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————